राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11266/2016

डॉ. रश्मि राजवंशी

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री ए.के. राजवंशी
		श्री सुखदेव शर्मा
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

17/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 26.08.2016 के आदेश (अनुलग्नक 1) के विरुद्ध है, जिसके तहत चिकित्सा अधिकारी, लाडनूं नागौर ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग जयपुर के निदेशक को याचिकाकर्ता की पेंशन से 28,973 रुपए की राशि वसूलने का अनुरोध किया था।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 19.08.1995 को सुजानगढ़ में कार्यभार ग्रहण करने के लिए लाडनूं से कार्यमुक्त किया गया था। जिसके अनुसरण में उसने अगले दिन वहां कार्यभार ग्रहण कर लिया। चूंकि उसे सुजानगढ़ में आवास उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए उसने तीन माह तक लाडनूं स्थित आवास खाली नहीं किया। इसके बाद उसे एक वर्ष के बाद सुजानगढ़ से नोहर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उस मकान के किराए के लिए जिसे याचिकाकर्ता ने तीन माह तक लाडनूं में अपने पास रखा, याचिकाकर्ता से 1470 रुपए की राशि मांगी गई, और उसने यह राशि जमा भी करा दी।

2.1 तत्पश्चात, दिनांक 28.10.1999 के आदेश के तहत, प्रतिवादियों द्वारा उक्त अवधि के लिए पुनः 2678/- रूपये की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने प्रभारी अधिकारी से दूरभाष पर वार्ता की तथा उसने

उन्हें बताया कि उसने इसके लिए 1470/- रूपये पहले ही जमा करा दिए हैं तथा प्रभारी अधिकारी ने उसे आश्वासन दिया कि वह उस आदेश को वापस ले लेगा।

2.2 इसी बीच, याचिकाकर्ता दिनांक 30.08.1998 को सेवानिवृत्त हो गई तथा उसे पेंशन मिलनी प्रारम्भ हो गई। अचानक, 18 वर्ष पश्चात, दिनांक 26.08.2016 के आदेश (अनुलग्नक-1) के तहत, चिकित्सा अधिकारी, लाडनूं नागौर ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग जयपुर के निदेशक को याचिकाकर्ता की पेंशन से 28,973/- रूपये की राशि वसूलने का अनुरोध किया। अत: यह याचिका।

3. जवाब में यह तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार के दिनांक 29.05.1995 के कार्यालय आदेश के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को आहार उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता ने अस्पताल में आहार उपलब्ध कराने के लिए लगी फर्मों को 28793/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया और इस तरह राज्य को वित्तीय नुकसान पहुंचाया। इसलिए, वसूली की गई और इसका घर के किराए से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता इस न्यायालय से किसी भी तरह की छूट पाने का हकदार नहीं है और याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं।

5. यहाँ एक छोटा सा विवाद उभर कर आता है; क्या याचिकाकर्ता का मामला पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) एवं अन्य: (2015) 4 एससीसी 334 में निर्धारित अनुपात के अंतर्गत आता है?

6. उत्तर सकारात्मक है। आइए देखें कैसे।

7. उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा-18, जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख है जिनके तहत वसूली की जा सकती है, नीचे पुन: प्रस्तुत है:-

> "18. उन सभी कठिनाई स्थितियों का अनुमान लगाना संभव नहीं है जो वसूली के मुद्दे पर कर्मचारियों को नियंत्रित करेंगी, जहाँ नियोक्ता द्वारा गलती से उनके हक से अधिक भुगतान किया गया हो। जैसा भी हो, यहाँ उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश दे सकते हैं, जिनमें नियोक्ता द्वारा वसूली, कानून में अस्वीकार्य होगी:

(i) तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवा (या समूह सी और समूह डी सेवा) के कर्मचारियों से वसूली।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों या वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से वसूली।

(iii) उन कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।

(iv) ऐसे मामलों में वसूली, जहां किसी कर्मचारी को गलत तरीके से उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है, और उसे तदनुसार भुगतान किया जाता है, भले ही उसे उचित रूप से निम्न पद पर काम करने की आवश्यकता होती।

(v) किसी अन्य मामले में, जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमानी होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी।

(महत्त्व दिया गया)

8. उपरोक्त के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि याचिकाकर्ता का मामला रफीक मसीह मामले में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता है।

9. उत्तर में या अन्यथा इस बात का खंडन नहीं किया गया है कि आहार शुल्क के लिए फर्मों को 28793/- रुपये का अतिरिक्त भुगतान याचिकाकर्ता की 30.08.1998 को सेवानिवृत्ति से पहले किया गया था। याचिकाकर्ता से इसकी वसूली के लिए आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 1) उसकी सेवानिवृत्ति के 18 वर्ष बाद 26.08.2016 को जारी किया गया था। ऐसा होने पर, अवधि स्पष्ट रूप से 5 वर्ष से अधिक है, जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा-18 उपखंड (ii) में उल्लिखित है और रफीक मसीह (उपरोक्त) में निर्धारित अनुपात के संदर्भ में, आक्षेपित आदेश संधारणीय नहीं है।

10. तदनुसार, दिनांक 26.08.2016 (अनुलग्नक 1) के आक्षेपित आदेश को आने वाले परिणामों सहित निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता से की गई वसूली, यदि कोई हो, लागू सेवा नियमों के अनुसार ब्याज सहित उसे वापस कर दी जाएगी।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।